विधान परिषद के द्‌वितीय सत्र -2022 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित डा0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद द्‌वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7 का उत्तर।

		प्रश्न	उत्तर
7	(क)	क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि किसी सड़क का प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद कितने समय में निर्माण शुरू होने की नियमावली है?	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, रिसपॉन्सिव निविदाओं की वित्तीय बिड खोलते हुए न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में नियमानुसार अनुबन्ध गठन के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
	(ख)	क्या अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्‌वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को पत्रांक-2389नि/130-02नि0 21-22, दिनांक 27.10.2021 को गौरीगंज-मुसाफिरखाना मार्ग से बासूपुर (अन्य जिला मार्ग) को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य की प्रथम किस्त जारी कराने हेतु पत्र लिखा गया था?	जी नहीं। कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०, लोक निर्माण विभाग (नियोजन वर्ग) लखनऊ के पत्र संख्या 2389 नि0/130-02 नि० 21-22 दिनांक 27.10.2021 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-541/2021/1/117609/2021 /23-11002(002)/98-2021,दि0 29.11.2021 द्‌वारा गौरीगंज मुसाफिरखाना मार्ग से बासूपुर (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की लागत रू0 1313.92 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।
	(ग)	यदि हॉ, तो क्या उक्त कार्य प्रारम्भ हो गया ?	जी नहीं ।
	(घ)	यदि नहीं, तो बढ़े हुए सामग्री मूल्य से सड़क बनाने की लागत बढ़ने की जिम्मेदारी किसकी होगी?	निविदायें आगणित दरों से कम पर प्राप्त हुई हैं । जिसके कारण सड़क की लागत में वृद्‌धि नहीं होगी ।

जितिन प्रसाद
मंत्री
लोक निर्माण विभाग।